

08 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 10 बजे कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

**मद संख्या 75.9 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)**

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुनः बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठे वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 मार्च, 2017 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

**विकासक का नाम :** मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड

**क्षेत्र :** आईटी / आईटीईएस

**लोकेशन :** इंदौर, मध्य प्रदेश

**विस्तार :** औपचारिक अनुमोदन की अवधि 27 अप्रैल, 2012 को समाप्त हो गई है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 27 मार्च, 2017 तक है। विकासक ने 26 सितंबर, 2017 तक छः माह के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक द्वारा अब तक विभिन्न शीर्षों के तहत किया गया कुल निवेश इस प्रकार है :

लागत का प्रकार	पिछले विस्तार तक किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	मार्च 2016 से जनवरी 2017 तक पिछले एक साल के दौरान किया गया निवेश (करोड़ रुपए में)	जनवरी 2017 तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)
भूमि	26.05	0.00	26.05
चारदीवारी	9.25	0.20	9.45
निर्मित परिसर	17.51	29.15	45.66
<b>कुल</b>	<b>52.81</b>	<b>29.35</b>	<b>82.16</b>

\*निर्माण तथा इंटीरियर वर्क के लिए 79 करोड़ रुपए का क्रय आदेश जारी किया जा चुका है। भवन / निर्मित परिसर पूर्ण होने के कगार पर है तथा विकासक प्लांट एवं मशीनरी, प्रौद्योगिकी इनपुट का प्रापण करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार विकासक ने अवसंरचना के सृजन के लिए 100 करोड़ रुपए की प

रोजगार : प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष

क्र. सं.	कर्मचारी	22 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार वास्तविक रोजगार
1	प्रत्यक्ष	1
2	अप्रत्यक्ष	700

**परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण :** पर्यावरण स्वीकृति तथा भवन प्लान के अनुमोदन में विलंब के कारण शुरु में निर्माण कार्य विलंब से शुरु हुआ। उन्होंने पिछले से पिछले साल सभी अनुमोदन प्राप्त किया तथा साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरु किया जिसे वे अगले 6 माह में पूरा करने की योजना बना रहे हैं।

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने 27 मार्च 2017 के बाद 26 सितंबर 2017 तक छः माह की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या 75.10 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)**

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।
- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

(i) 22 अप्रैल, 2017 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी किया गया : फर्मास्युटिकल उत्पादों के विनिर्माण के लिए 23 अप्रैल 2012 को
- विस्तार : 22 अप्रैल, 2018 तक 4 (चार)

- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है :

शुरू से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक किए गए निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	निवेश का स्वरूप	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	लीजहोल्ड भूमि :	3.93
2.	सिविल निर्माण	29.38
3.	प्लांट एवं मशीनरी	67.82
4.	अन्य परिसंपत्तियाँ	11.18
	कुल	112.31

**2016-2017 के दौरान किया गया निवेश - भूमि एवं अन्य अवसंरचना पर अलग अलग**

क्र. सं.	निवेश का स्वरूप	राशि (करोड़ रुपए में)
1.	सिविल निर्माण	3.25
2.	प्लांट एवं मशीनरी	10.8
3.	अन्य परिसंपत्तियाँ	1.22
	कुल	15.27

31 दिसंबर 2016 तक 8.38 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

यूनिट ने 31 दिसंबर 2016 तक 112.31 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है जो प्रस्तावित निवेश का 89.85 प्रतिशत है।

मात्रा की दृष्टि से अब तक भौतिक प्रगति का ब्यौरा :

क्रम संख्या	विवरण	प्लाट 6ए/1 के लिए प्रस्तावित योजना	प्लाट 64/1 में किया गया वास्तविक निर्माण	प्लाट 6ए/1 में समाप्त का प्रतिशत
1.	मुख्य भवन - भूतल	6,873.719	6,873.719	100 प्रतिशत
2.	मुख्य भवन - प्रथम तल	591.470	591.470	100 प्रतिशत
3.	मुख्य भवन - द्वितीय तल	2,615.833	2,615.833	100 प्रतिशत
4.	साल्वेंट प्लांट	272.077	272.077	100 प्रतिशत
5.	सुरक्षा भवन	97.230	97.230	100 प्रतिशत
6.	यूटिलिटीज	2179.683	0	0 प्रतिशत
7.	कैंटीन	1077.426	0	0 प्रतिशत

कुल	13707.44	10450.329	76 प्रतिशत
-----	----------	-----------	------------

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने यूनिट की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 27 दिसंबर 2016 के बाद मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सारनामॉय प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो फाल्टा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओए जारी किया गया : बैग फैब्रिक एवं लाइनर के निर्माण एवं निर्यात के लिए 28 दिसंबर 2012 को
- विस्तार : 27 दिसंबर, 2016 तक 4 (चार)
- अनुरोध : एक साल तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित कार्य पूरे कर लिए हैं :

यूनिट ने निर्माण से संबंधित कार्य पूरे कर लिए हैं, मशीनरी इंस्टाल हो गई हैं, कारखाना एवं फायर लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं, जनशक्ति की तैनाती की गई है, विद्युत कार्य आदि पूरा हो गया है। यूनिट ने ट्रायल प्रोडक्शन भी किया है तथा एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने के तुरंत बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है, हालांकि वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने में विलंब या परियोजना को लागू करने में विलंब के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

**मद संख्या 75.11 : सह विकासक के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)**

(i) मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड द्वारा नंगुनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्वच्छ पर्यावरण प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1020 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स स्वच्छ एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के अंदर इंटेक प्रदान करने, पानी की आपूर्ति एवं वितरण, शोधन सहित जल प्रबंधन तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं पानी की रिसाइकलिंग, निस्सारी शोधन संयंत्र, सीवेज शोधन संयंत्र के प्रचालन एवं प्रबंधन, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा जल वितरण से

संबंधित अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 7 फरवरी, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 50.15 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) बड़ापलांजी, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चैनसिस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

86.46.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स चैनसिस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 8.09371 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 29 दिसंबर, 2016 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 19 सितंबर 2016 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 95 साल है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 11 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, बलोला एवं बंधवारी, तहसील सोहना, जिला गुडगांव, हरियाणा में मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ऐड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25.8093 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ऐड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड ने 9.626 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंतरिक एवं बाहरी अवसंरचना सुविधाओं एवं भवनों के विकास तथा ऐसे अन्य अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 16 फरवरी, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 414.90 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या 75.12 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (7 प्रस्ताव)**

(i) प्लॉट नंबर 2, एमआईडीसी, फंज 1, हिंजेवाड़ी, मुल्शी तालुक, पुणे, महाराष्ट्र में 9.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(i)	मैसर्स विप्रो लिमिटेड	प्लॉट नंबर 2, एमआईडीसी, फंज 1, हिंजेवाड़ी, मुल्शी तालुक, पुणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	9.15	हां	हां 22 फरवरी, 2017

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव को अग्रोषित किया है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) क्रमांक 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी), राजीव गांधी इनफोटेक पार्क के पास हिंजेवाड़ी, फंज 1, पुणे, महाराष्ट्र में 3.4659 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(ii)	मैसर्स नालंदा शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड	क्रमांक 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी), राजीव गांधी इनफोटेक पार्क के पास हिंजेवाड़ी, फंज 1, पुणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	3.4659	हां	हां 22 फरवरी, 2017

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) सर्वे नंबर 53/पैकी/पार्ट, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.78 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
----------	---------------	--------	---------	-----------	---------------	------------------------

				(हेक्टेयर में)		
(iii)	मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 53/पैकी/पार्ट, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	1.78	हां	हां 02 मार्च, 2017

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) सर्वे नंबर 285, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(iv)	मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 285, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.63	हां	प्रतीक्षा है

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) सर्वे नंबर 286 और 287, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 3.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(v)	मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 286 एवं 287, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	3.46	हां	प्रतीक्षा है

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) सर्वे नंबर 141 और 142, ननक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स बीएसआर बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(vi)	मैसर्स बीएसआर बिल्डर्स एलएलपी	सर्वे नंबर 141 एण्ड 142, ननक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	1.16	हां	हां 02 मार्च, 2017

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) ओएमआर रोड, पेरंगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु में 4.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पेरंगुडी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(vii)	मैसर्स पेरंगुडी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	ओएमआर रोड, पेरंगुडी, चेन्नई, तमिलनाडु	आईटी / आईटीईएस	4.28	हां	हां 03,03,2017

विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**मद संख्या 75.13 :** शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (7 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकलने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती हैं। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने

वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

\*एसईजेड नियमावली 2006 में अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है तथा वेटिंग के लिए डीएलए को भेजा गया।

**(i) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सोलर एक्सपोर्ट, जो सूरत एसईजेड में यूनिट है, का अनुरोध**

ज्वेलरी के सामान के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 30 जून, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 08 अगस्त, 2020 तक वैध है।

यूनिट ने 4 जनवरी 2016 से फर्म की साझेदारी में परिवर्तन के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

क्र. सं.	साझेदार का नाम	लाभ / नुकसान हिस्सेदारी अनुपात		अभ्यक्तियां
		पिछला	नया	
1.	नीरव फैमिली ट्रस्ट	60 प्रतिशत	0.50 प्रतिशत	सतत साझेदार
2.	नीरव मोदी फैमिली ट्रस्ट	40 प्रतिशत	0.50 प्रतिशत	सतत साझेदार
3.	दिव्येश मगनभाई लैडुमर	--	49.50 प्रतिशत	नया साझेदार
4.	मगनभाई नानाभाई जिजाला	--	49.50 प्रतिशत	नया साझेदार
	कुल	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(ii) साझेदारी विलेख एवं शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स स्टेलर डायमंड जो सूरत एसईजेड में यूनिट है, का अनुरोध**

ज्वेलरी के सामान के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 30 जून, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओए 08 अगस्त, 2020 तक वैध है।

यूनिट ने 4 जनवरी 2016 से फर्म की साझेदारी एवं शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

क्र. सं.	साझेदार का नाम	लाभ / नुकसान हिस्सेदारी अनुपात		अभ्युक्तियां
		पिछला	नया	
1.	नीरव फैमिली ट्रस्ट	25 प्रतिशत	0.50 प्रतिशत	सतत साझेदार
2.	नीरव मोदी फैमिली ट्रस्ट	75 प्रतिशत	0.50 प्रतिशत	सतत साझेदार
3.	मनोजभाई जादवभाई संखट	--	49.50 प्रतिशत	नया साझेदार
4.	मोहन उखाभाई लैडुमर	--	49.50 प्रतिशत	नया साझेदार
	कुल	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स असेंडास फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शेयर होल्डिंग की 100 प्रतिशत बिक्री / हस्तांतरण के लिए मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स अर्शिया रेल साइडिंग एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआरएसएल) को एसईजेड में वेयरहाउस के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 5 दिसंबर 2016 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

अब एआरएसएल (सह विकासक) ने मैसर्स एआरएसएल की 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग को मैसर्स असेंडास के नाम में निम्नानुसार हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध किया है :

- (क) एआरएसएल मैसर्स असेंडास को अपनी वर्तमान शेयर होल्डिंग के 100 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करना चाहता है जिसमें 50000 शेयर शामिल हैं
- (ख) शेयरों के हस्तांतरण के बाद मैसर्स असेंडास अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के रूप में काम करना जारी रहेगा
- (ग) अनुमोदन बोर्ड द्वारा मैसर्स एआरएसएल को प्रदान किए गए सभी अनुमोदन मैसर्स असेंडास को हस्तांतरित हो जाएंगे
- (घ) मैसर्स असेंडास 5 दिसंबर 2016 को अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के रूप में अपना प्रचालन जारी रखेगा तथा मैसर्स एआरएसएल को अनुमोदित सभी गतिविधियां संचालित करेगा।

- (ड) मैसर्स एआरएसएल (सह विकासक) की 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के अधिग्रहण के बाद मैसर्स असेंडास एफटीडब्ल्यूजेड के अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए 434 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
- (च) मैसर्स असेंडास अशिया एफटीडब्ल्यूजेड में नए वेयरहाउस के विकास के लिए और निधियों का भी निवेश करेगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने मैसर्स असेंडास प्रापर्टीज फंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मैसर्स अशिया रेल साइडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग की बिक्री / हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो काडुबीसानाहल्ली गांव, वर्थूर होबली, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

18.789 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

क्र. सं.	शेयर धारकों का नाम	मौजूदा शेयर होल्डिंग	प्रस्तावित शेयर होल्डिंग
1.	प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	85.00 प्रतिशत	0.00 प्रतिशत
2.	एक्सोरा बिजनेस पार्क लिमिटेड	0.00 प्रतिशत	85.00 प्रतिशत
3.	जवाहर गोपाल	0.44 प्रतिशत	0.44 प्रतिशत
4.	मीरा जवाहर	0.96 प्रतिशत	0.96 प्रतिशत
5.	लव जवाहर	0.97 प्रतिशत	0.97 प्रतिशत
6.	कुश जवाहर	0.97 प्रतिशत	0.97 प्रतिशत
7.	मनोहर गोपाल	0.44 प्रतिशत	0.44 प्रतिशत
8.	नेहा मनोहर	2.90 प्रतिशत	2.90 प्रतिशत
9.	धीरेन गोपाल	0.44 प्रतिशत	0.44 प्रतिशत
10.	नीता धीरेन	2.89 प्रतिशत	2.89 प्रतिशत
11.	सैयद अहमद	2.50 प्रतिशत	2.50 प्रतिशत
12.	फरीना सैयद अहमद	2.50 प्रतिशत	2.50 प्रतिशत
13.	कुल	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

मैसर्स सेसना गार्डेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में मैसर्स प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 85 प्रतिशत शेयरों का धारक है। मैसर्स प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने मैसर्स एगजोरा बिजनेस पार्क लिमिटेड को अपने 100 प्रतिशत शेयरों का हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया है, जो मैसर्स प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है। मैसर्स प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने पत्र दिनांक 1 मार्च 2017 के माध्यम से मैसर्स एगजोरा बिजनेस पार्क लिमिटेड को शेयरों के प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए सहमति प्रदान की है तथा मैसर्स एगजोरा बिजनेस पार्क लिमिटेड ने सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने का वचन दिया है। उल्लेखनीय है कि कंपनी के निदेशकों में कोई परिवर्तन नहीं है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के साथ समामेलन और एफएसईजेड के क्षेत्राधिकार के अधीन मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम / संरचना में परिवर्तन के लिए मैसर्स कैपजेमिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड को 20 दिसंबर 2017 को एलओए जारी किया गया है।

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 17 फरवरी 2017 के माध्यम से नाम में परिवर्तन से पहले और इसके बाद शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	28 अक्टूबर 2016 तक की स्थिति के अनुसार नाम में परिवर्तन से पूर्व शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	28 अक्टूबर 2016 तक की स्थिति के अनुसार नाम में परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	पैन एशिया आईगेट सोल्यूशंस	50.35 प्रतिशत	23.10 प्रतिशत
2.	आईगेट इंक	शेयर होल्डिंग की संख्या	शेयर होल्डिंग की संख्या
3.	आईगेट कॉर्पोरेशन	47.05 प्रतिशत	21.58 प्रतिशत
4.	आईगेट टेक्नोलॉजी इंक	2.09 प्रतिशत	0.96 प्रतिशत
5.	कैपजेमिनी अमेरिका इंक	शेयर होल्डिंग की संख्या	42.14 प्रतिशत
6.	कैपजेमिनी एसए	शेयर होल्डिंग की संख्या	11.99 प्रतिशत
7.	माइनरिटी पब्लिक शेयरिंग	0.50 प्रतिशत	0.24 प्रतिशत
	शेयर होल्डिंग में कुल परिवर्तन		54.13 प्रतिशत

यूनिट ने समामेलन की योजना के लिए न्यायालय से अनुमोदन की प्रति भी प्रस्तुत की है। इसके अलावा आरओ के अनुमोदन के बाद 16 दिसंबर 2016 से समामेलन की योजना के अंग के रूप में कंपनी का नाम आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड किया गया।

यूनिट एसईजेड से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुन रही है तथा शेयर होल्डिंग में 50 प्रतिशत परिवर्तन है और इस प्रकार प्रस्ताव 23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति को सौंपे गए अधिकारों के तहत शामिल नहीं है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 97 प्रतिशत इक्विटी शेयरों तथा मैसर्स टिडको को शेष इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड

(एमआईडीपीएल) जो कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड को 12 जुलाई 2016 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

अब सह विकासक ने पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 के माध्यम से तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अनुमति के अनुसरण में मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 97 प्रतिशत तथा मैसर्स टिडको को शेष 3 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया है। उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार ने उपर्युक्त आदेश दिनांक 29 फरवरी 2016 के माध्यम से निम्नलिखित आधार पर सहमति प्रदान की है :

"एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के पत्तन व्यवसाय के डिमर्जर तथा डिमर्ज्ड संस्था ने प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न अर्थात एलएंडटी द्वारा 97 प्रतिशत और टिडको द्वारा 3 प्रतिशत तथा मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड द्वारा एलएंडटी लिमिटेड की संपूर्ण शेयर होल्डिंग की खरीदारी के माध्यम से पत्तन व्यवसाय के लिए नई कंपनी ने सामरिक साझेदार अर्थात मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को लाने के लिए एलएंडटी लिमिटेड के प्रस्ताव के लिए इस शर्त के अधीन सरकार की मंजूरी प्रदान की जाती है कि टिडको के इक्विटी निवेश के वर्तमान मूल्य का पूर्णतः संरक्षण किया जाएगा तथा टिडको नई पोर्ट कंपनी की इक्विटी में निवेश करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो पेरंगलाथूर, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

15.06.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है तथा 26 नवंबर 2007 से क्रियाशील है। एसईजेड में 19 यूनिटें हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 1451 करोड़ रुपए का निर्यात किया था।

अब विकासक ने शेयर होल्डिंग के मौजूदा पैटर्न तथा शेयर होल्डिंग के प्रस्तावित पैटर्न का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है :

**शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :**

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	श्रीराम प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	2,95,76,161	50 प्रतिशत
2.	एसयूएन - अपोलो इनवेस्टमेंट होल्डिंग इंडिया एलएलसी	2,95,76,161	50 प्रतिशत

**शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न :**

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	होरस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	2,95,76,161	50 प्रतिशत
2.	एसयूएन - अपोलो इनवेस्टमेंट होल्डिंग इंडिया एलएलसी	2,95,76,161	50 प्रतिशत

विकासक ने मौजूदा शेयरधारक से प्रस्तावित शेयरधारकों को 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग पैटर्न के प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए पूर्वोक्त के अनुसार अनुरोध किया है। इसके अलावा विकासक ने बताया है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए 9 नवंबर 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन को निरस्त समझा जाए।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

#### **मद संख्या 75.14 : विविध मामले (3 प्रस्ताव)**

(i) क्षेत्रफल में 0.92 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो सर्वे नंबर 65 (पी), ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित कर रहा है, का अनुरोध

मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) ने सर्वे नंबर 65 (पी), ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के अनुमोदित क्षेत्रफल में 0.92 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए आवेदन किया है। मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन बोर्ड द्वारा क्रमशः 1.37 हेक्टेयर और 2.66 हेक्टेयर का क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है तथा 4.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पत्र दिनांक 22 फरवरी 2017 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन भी जारी किया गया है जो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

अब विकासक ने 0.92 हेक्टेयर की वृद्धि के माध्यम से एसईजेड का क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4.95 हेक्टेयर करने के लिए प्रस्ताव किया है। 0.92 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल सर्वे नंबर 65 (पी) की 1.32 हेक्टेयर भूमि का अंश है तथा यह भूमि मैसर्स गेरा डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (भूस्वामी) द्वारा सुविधा विलेख (बिक्री दस्तावेज) दिनांक 22 फरवरी 2017 के माध्यम से मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई है। 4.95 हेक्टेयर का संशोधित क्षेत्रफल संस्पर्शी है तथा उसमें कोई आम रास्ता नहीं है। इसके अलावा मौजूदा एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र अर्थात् 0.92 हेक्टेयर खाली पड़ा है और उस पर मैसर्स केआरसी इनफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कब्जा है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) क्षेत्रफल में 3.61 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो प्लॉट नंबर आईटी 5, एयरोली नॉलेज पार्क, एमआईडीसी-टीटीसी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 6 जनवरी 2012 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसे 11 अप्रैल 2013 को संशोधित किया गया तथा 11 जून 2013 को अधिसूचित किया गया और 18 फरवरी 2015 को संशोधित किया गया। 12.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 अगस्त 2013 से क्रियाशील है।

अब विकासक ने 3.61 हेक्टेयर की वृद्धि के माध्यम से एसईजेड का क्षेत्रफल 12.91 हेक्टेयर से बढ़ाकर 16.52 हेक्टेयर करने के लिए प्रस्ताव किया है। इसके अलावा विकासक ने बताया कि मौजूदा एसईजेड 20.23 हेक्टेयर के बड़े प्लाट आईटी 5 का अंश है जिसे 1 जून 2007 से 90 साल की अवधि के लिए एमआईडीसी द्वारा पट्टा पर दिया गया है। 3.61 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल भी उसी बड़े प्लाट आईटी 5 का हिस्सा है तथा मौजूदा एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 3.61 हेक्टेयर का क्षेत्रफल खाली पड़ा है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(iii) सैंडल वुड की अतिरिक्त मर्दों के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव**

सैंडलवुड के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 6 जून, 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था। यह प्रस्ताव निम्नलिखित मर्दों के विनिर्माण के लिए 23 फरवरी, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक के समक्ष आया था :

- (i) सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)
- (ii) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट
- (iii) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने (1) सैंडलवुड चिप्स (50 ग्राम प्रति नग तक) (2) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट और (3) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / अपशिष्ट के निर्माण की अनुमति नहीं दी क्योंकि ये निषिद्ध मर्द हैं। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एमईपीजेड को निषिद्ध मर्दों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा डीजीएफटी से रिपोर्टें प्राप्त करने का भी निदेश दिया।

9 नवंबर, 2016 को आयोजित 73वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को पुनः रखा गया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि 3 सप्ताह के अंदर सैंडलवुड के निर्यात और आयात से संबंधित नीति पर डीजीएफटी से स्पष्टीकरण / टिप्पणियां प्राप्त की जाएं।

डीजीएफटी ने पत्र दिनांक 30 मार्च 2017 के माध्यम से सूचित किया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से उन्होंने अधिसूचना संख्या 37/2015-20 दिनांक 27 जनवरी 2017 जारी किया है जिसके माध्यम से क्रम संख्या 182 से 187, अध्याय 44, अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के विरुद्ध दर्शाए गए सैंडलवुड की निर्यात नीति में संशोधन किया है। बताया गया है कि डीजीएफटी ने बताया है कि ने उनसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि क्या उनके आवेदन पर अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए डीजीएफटी ने अनुरोध किया है कि मामले पर विचार करने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाए।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

**मद संख्या 75.15 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (2 अपीलें)**

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 नवंबर, 2016 के विरुद्ध मैसर्स एनकेबी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स एनकेबी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को बिल्डर हार्डवेयर की सामग्रियों के निर्माण एवं निर्यात के लिए 28 अगस्त 2010 को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने 9 नवंबर 2011 को साइट पर कार्य शुरू किया परंतु कार्य आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि वे भवन प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सके। यूनिट ने अभी तक उत्पादन एवं निर्यात की गतिविधियां शुरू नहीं की हैं। 25 नवंबर 2014 को आयोजित एनएसईजेड, यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक ने पाया है कि यूनिट ने न तो निर्यात उत्पादन शुरू किया है और न ही 27 अक्टूबर 2012 के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 29 जनवरी 2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा यूनिट के प्रतिनिधि ने 22 जून 2015 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में अपनी निजी तथा वित्तीय कठिनाइयों के बारे में बताया जिनके कारण यूनिट अपनी गतिविधियां शुरू नहीं कर सकी। इसके अलावा यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट के प्रमोटर को अगले 5 वर्षों के लिए विश्वसनीय व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने तथा उपर्युक्त यूनिट के विरुद्ध बकाया पट्टा किराया का भुगतान करने का निदेश दिया।

चौथे साल के बाद एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पर पुनः 7 अक्टूबर 2015 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में विचार किया गया तथा यूनिट से पुनः अगले 5 वर्षों के लिए विश्वसनीय व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया, जिसमें यूनिट ने स्वीकार किया है कि कुछ पारिवारिक और वित्तीय समस्याओं के कारण वे व्यवसाय योजना प्रस्तुत नहीं कर सके तथा अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। ऊपर उल्लिखित अनवरत परिस्थितियों के कारण यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के अनुसार एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को 9 नवंबर 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर पत्र दिनांक 25 नवंबर 2016 के माध्यम से अस्वीकार कर दिया है।

अब यूनिट ने बताया है कि उन्होंने 3,54,976 रुपए के बकाया किराया का भुगतान कर दिया है तथा 30 जून 2015 को पूर्ण की गई परियोजना के ब्यौरों के साथ व्यवसाय योजना भी प्रस्तुत की है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता ने यूनिट को स्थापित करने का अवसर प्रदान करने तथा एक साल की सीमित अवधि के अंदर उत्पादन शुरू करने के लिए पुनः अनुरोध किया है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 1) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति, वीएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी 2017 के विरुद्ध मैसर्स जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड जो मामिडीपल्ली गांव, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में वीएसईजेड के क्षेत्राधिकार में जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के एसईजेड में प्लॉट नंबर 1 पर सह विकासक सह यूनिट है, की अपील

मैसर्स जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईई) को सरकार द्वारा मंजूरी पत्र संख्या एफ1/12/2007-एसईजेड दिनांक 20 सितंबर 2010 के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए एमआरओ सुविधाओं के विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। सह विकासक के दर्जे के तहत उन्होंने निम्नानुसार विभिन्न

सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (जीएईएल) (विकासक) के साथ पट्टा करार किया है जो 27 जुलाई 2010 से प्रभावी है :

- (i) भूमि पट्टा : जीएई ने 25 एकड़ की भूमि के लिए एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने के लिए जीएचएएसएल के साथ भूमि पट्टा करार किया है जिस पर वर्तमान एमआरओ सुविधाओं का निर्माण किया गया।
- (ii) विद्युत आपूर्ति सेवा : जीएई तथा जीएई के वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए जीएचएईएल द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
- (iii) जलापूर्ति सेवा : जीएई तथा जीएई के वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए जीएचएईएल द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है।

अचल संपत्ति की किराएदारी सेवा के तहत वे उपर्युक्त सेवा का उपयोग कर रहे हैं तथा विकासक मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के अनुसार राशि का भुगतान कर रहे हैं। बीजक प्रस्तुत करते समय विकासक ने वीएसईजेड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र संख्या 9/082/एसईजेड/एचवाईडी/2010 दिनांक 29 सितंबर 2010 और सेवा कर अधिसूचना 9/2009, 15/2009, 17/2011 और 40/2012 पर भरोसा करते हुए कोई सेवा कर प्रभारित नहीं किया है।

इसके अलावा एसईजेड अधिनियम की धारा 26 (1) (ड.) के अनुसार एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए विकासक या यूनिट को प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 6 के तहत सेवा कर से छूट। इसके अलावा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 31 के तहत "किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी विकासक या यूनिट (निर्माणाधीन यूनिट सहित) को वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 65 के तहत प्रदान की गई कराधेय सेवाओं पर सेवा कर से छूट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए उपलब्ध होगी।"

अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि उनकी यह धारणा है कि विकासक और सह विकासक के बीच फार्म ए1 और ए2 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों एसईजेड क्षेत्र में हैं तथा ऐसा इसलिए भी है कि सेवा कर अधिसूचना संख्या 40/2012 दिनांक 20 जून 2012 के माध्यम से ए1 फार्मेट केवल डीटीए सेवा प्रदाताओं के लिए है। तत्काल संदर्भ के लिए फार्म ए1 का फार्मेट यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है :

सेवा कर विभाग से नोटिस प्राप्त होने पर विकासक छूट प्रमाण पत्र फार्म ए1 और ए2 तथा इसके अभाव में सेवा कर के भुगतान की मांग कर रहा है।

यूनिट अनुमोदन समिति ने यह कहते हुए उनके अनुमोदन को अस्वीकार कर दिया है कि सेवाएं केवल भावी तिथि से प्रदान की जाएंगी, न कि भूतलक्षी प्रभाव से तथा इसलिए पिछली अवधि को छोड़ते हुए भावी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अब विकासक पिछली अवधि के लिए फार्म ए1 और ए2 की मांग कर रहा है क्योंकि सेवा कर विभाग इसके लिए बल दे रहा है।

- (i) हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करें कि एसईजेड अधिनियम की धारा 26 (1) में प्रदान की गई विशिष्ट कर छूटों को ध्यान में रखते हुए एसईजेड क्षेत्र के अंदर या दूसरे एसईजेड को किसी विकासक या एसईजेड यूनिट (विलोमतः)

द्वारा प्रदान की गई गतिविधियों के लिए फार्म ए1 प्रस्तुत करने तथा फार्म ए2 में छूट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

- (ii) इस प्रकार हमारी राय में फार्म ए1/ए2 (जो खंडन अधिसूचनाओं में प्रदान नहीं किया गया) प्राप्त करने का प्रक्रियागत अनुपालन, यदि अधिसूचना संख्या 12/2013-एसटी के लिए अनुपालन नहीं किया जाता है, सेवा कर से छूट के सारवान लाभ की मनाही का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा।
- (iii) ऐसे निर्णयों का भरमार जिनमें यह कहा गया है कि एसईजेड को सारवान लाभ से प्रक्रियागत उल्लंघन के कारण इन्कार नहीं किया जा सकता है जहां सरकार के राजस्व का कोई नुकसान नहीं है। केबी पावर केयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद कर आयुक्त, हैदराबाद के मामले में (2013 (291) ईएलटी 561 (ट्राई-बेंग)

चूंकि विकासक पिछली अवधि के लिए अब फार्म ए1 और ए2 के लिए बल दे रहा है क्योंकि सेवा कर विभाग इसके लिए बल दे रहा है, इसलिए मैसर्स जीएमआर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, सह विकासक सह यूनिट ने मुद्दे पर विचार करने तथा फार्म ए1 एवं ए2 प्राप्त करने के संबंध में यह स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया है कि विकासक द्वारा यूनिट को प्रदान की गई सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है या इसे प्रक्रियागत चूक के रूप में माना जा सकता है और सितंबर 2010 से भूतलक्षी अवधि के साथ फार्म ए1 और ए2 जारी करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति / विकास आयुक्त को उपयुक्त निदेश जारी किया जाए।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 2) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*